एकीकृत जागरूकता अभियान सृजन, अभिमन्यु एवं सम्मान का शुभारंभ

बड़वानी। जागरूकता अभियान सृजन अभिमन्यु एवं सम्मान के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय भीलखेड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार, प्रभारी पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर के निर्देशन में तथा महिला सेल उप पुलिस अधीक्षक महेश कुमार सुनैया, एसडीओपी दिनेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें उप निरीक्षक ललिता चौहान ने छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बाल विवाह, लैंगिक हिंसा एवं नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। सहायक उप निरीक्षक रेखा यादव ने गुड टच एवं बैड टच के संबंध में समझाईश दी। साथ ही मोबाईल-इंटरनेट के दुरुपयोग से दूर रहने के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। वहीं काउंसलर अनीता चोयल द्वारा पुलिस हैल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधान पाठक नंदेश सोलंकी, माध्यमिक शिक्षक अनार सिंह आवास्या व छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

लर्निंग लाइसेंस कैम्प आयोजित

बड़वानी। जिला परिवहन अधिकारी राकेश भूरिया ने शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में संकल्प से सेवा अभियान के तहत लर्निंग ड्राइविंग लायसेंस शिविर आयोजित किया। जिसमें जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ड्राइविंग लायसेंस बनाने की प्रकिया एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता जाने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया गया। उक्त शिवरि में 79 लर्निंग ड्राइविंग लायसेंस आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 62 लर्निंग ड्राइविंग लायसेंस बनाए गए।

नि :शुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर 9 को

बड़वानी। जिला चिकित्सालय में लायंस क्लब बड़वानी के सहयोग से 9 फरवरी को नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। डीडीपीएम अनिल राठौड़ ने बताया कि सीएमएचओ डॉ सुरेखा जमरे और सिविल सर्जन डॉ मनोज खन्ना के मार्गदर्शन में लगने वाले शिविर में चयनित मरीजों का नि:शुल्क लैंस प्रत्यारोपण चोईथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर में किया जाएगा। केम्प कोऑर्डिनेटर रविंद्र टेकाम ने बताया कि मरीज के साथ एक परिजन होने पर ही ऑपरेशन किए जाएंगे। मरीज पुरानी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो तो लेकर आए। महिला मरीज विशेष रूप से सिर के बाल धोकर आए। शिविर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही रहेगा।

धूल खा रही राशन घोटाले की फाइलें, करोड़ों के गबन पर कार्रवाई ठप

229 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्टॉक कम मिलने की पुष्टि, वसूली के आदेश के बावजूद न पैसा जमा, न दोषियों पर सख्ती

बड़वानी. जिले में गेहूं, चावल, शक्कर और नमक की कथित कालाबाजारी से जुड़ी कार्रवाई की फाइलें एक वर्ष से अधिक समय से दफ्तरों में धूल खा रही हैं। जिम्मेदार विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अमला वसूली और दंडात्मक कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाते नजर आ रहे हैं। नतीजा ये है कि गरीबों के हिस्से का अनाज कथित तौर पर हजम करने वाले राशन विक्रेताओं पर न तो सख्त कार्रवाई हुई और न ही करोड़ों रूपए की पूरी वसूली हो पाई।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव के निर्देश पर कलेक्टर ने जिले की 492 शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों में पीओएस मशीन के जरिए दर्ज स्टॉक का गोदामों में भौतिक सत्यापन कराने के लिए अलग-अलग जांच दल गठित किए थे। इन दलों में खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और समिति प्रबंधक शामिल थे। निर्देश स्पष्ट थे। हर दुकान का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए।

जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिले की 229 राशन दुकानों में गेहूं, चावल, शक्कर और नमक का स्टॉक कम पाया गया। जांच रिपोर्ट और मौका पंचनामा संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद जिन विक्रेताओं के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, उनके खिलाफ रिकवरी के आदेश जारी किए गए। हैरानी की बात ये है कि आदेश होने के बावजूद आज तक अधिकांश मामलों में पूरी राशि जमा नहीं हुई है और न ही दोषियों पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

कानून के बावजूद ढिलाई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत यदि 10 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न कम पाया जाता है, तो विक्रेता से गबन की वसूली के साथ अभियोजन अनिवार्य है। बावजूद इसके जिले में केवल वसूली आदेश देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इससे शासन के निर्देशों के उल्लंघन और खानापूर्ति के आरोप लग रहे हैं। विक्रेताओं की दलील है कि कोविड काल में पीओएस मशीन से वितरण नहीं हो पाने के कारण स्टॉक अधिक दिख रहा है, जबकि वास्तविक वितरण 100 प्रतिशत से अधिक किया गया। हालांकि जांच दलों ने भौतिक सत्यापन के आधार पर स्टॉक की कमी स्पष्ट रूप से दर्ज की है।

ई-केवाइसी में बड़ा खुलासा

राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए चलाए गए ई-केवाईसी अभियान में भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार, 10 माह के अभियान में 2290 ऐसे उपभोक्ता सामने आए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। इनमें 23 उपभोक्ताओं की आय 25 लाख रुपए तक पाई गई। इसके अलावा 311 ऐसे लोग भी चिंहित हुए जो कारखानों या समितियों में मैनेजर पद पर कार्यरत हैं, फिर भी राशन ले रहे थे। अप्रैल 2025 में जिले की 492 राशन दुकानों से 2 लाख 67 हजार 72 परिवारों के 12 लाख 37 हजार 762 सदस्य राशन ले रहे थे। ई-केवाइसी के बाद 1 फरवरी 2026 तक यह संख्या घटकर 2 लाख 66 हजार 718 परिवारों और 11 लाख 48 हजार 626 सदस्यों तक सिमट गई। सवाल यह है कि जिन 354 परिवारों और 89 हजार 136 सदस्यों के नाम हटाए गए, उनके हिस्से का राशन आखिर किसने उठाया।

इनका कहना है

जिले की 492 राशन दुकानों की जांच पूरी हो चुकी है। 229 मामलों में सुनवाई के बाद 123 दुकानों पर वसूली आदेश जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं करने वाले विक्रेताओं पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

भारतसिंह जमरे, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी बड़वानी

एसडीएम के आदेश पर राशन विक्रेताओं से वसूली की जा रही है। राशि जमा नहीं करने वालों की सूची कलेक्टर को भेज दी गई है, मार्गदर्शन लेकर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। **सुरेश सावले, सहायक आयुक्त सहकारिता बड़वानी**

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव के निर्देश पर राशन दुकानों के स्टॉक की जांच के लिए दल गठित किया गया। जांच में जिन दुकानों पर गेहूं, चावल, शक्कर व नमक कम पाए गए, उन्हें नोटिस देकर सुनवाई के बाद वसूली आदेश जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर एफआइआर के निर्देश भी दिए गए हैं।

भूपेंद्र रावतए एसडीएम बड़वानी

सामने लाई जाए स्थिति

- भौतिक सत्यापन कर सामने लाई जाए वास्तविक स्थिति।

दो मामलों ने खोली पोल

वरला विकासखंड की सोनखेड़ी राशन दुकान में जांच में स्टॉक सत्यापन के दौरान गेहूं 12602 किग्रा, चावल 6183 किग्रा तथा शक्कर 82 किग्रा की कमी पाई गई। जिस पर 6.29 लाख रूपए की वसूली के आदेश और एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह वेदपुरी राशन दुकान में गेहूं 13925 किग्रा, चावल 3345 किग्रा, नमक 360 किग्रा एवं शक्कर 60 किग्रा की कमी सामने आने पर वसूली एवं विक्रेता और सहायक विक्रेता के खिलाफ एफ आईआर दर्ज कराई गई है।

जन्मदिन पर बांटी खुशियां

बड़वानी, (नवभारत)। शिवकुंज योगा ग्रुप पर्यावरण मित्र होने के साथ-साथ स्वच्छता एवं अन्य देशभक्ति, समाज हित की गतिविधियों के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाता है।

इसी क्रम में शिवकुंज योगा ग्रुप सदस्य पार्षद एवं पत्रकार सचिन शर्मा के जन्मदिन पर निराश्रित मनोरोगियों के लिए आशाग्राम ट्रस्ट द्वारा संचालित आशा आश्रय गृह में मनोरोगियों को स्वल्पाहार कराकर खुशियां व्यक्त की।

ग्रुप के संयोजक लव कुमरावत, दीपक अग्रवाल, सचिन दुबे, अंशुल महाजन, संदीप मुकाती, आदर्श श्रीवास्तव, संजय सुगंधी, पवन कुमरावत, आदर्श गुप्ता, राजू सोनी आदि उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक: 3774/जल/डब्ल्यु.डब्ल्यु.डी/इन्दौर

सूचना-विज्ञप्ति

दिनांक: 30/01/2026

एतद द्वारा सर्व साधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि म.प्र. मत्स्य पालन निति 2008 एवं उपसचिव म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्र.एफ-8-0001/12/18-8 भोपाल दिनांक 24.01.2012 एवं अपर सचिव म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र पृष्ठांकन क्र. एफ-8-01/2012/18-8 भोपाल, दिनांक 30.07.2015 के तहत नगर पालिक निगम इन्दौर स्वामित्व के निम्नानुसार जलाशयो/ तालाब मछली पालन/मत्स्याखेट हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर मछुआ सहकारी समिति/समूह में पंजीकृत एवं वंशानुगत मछुआ जातियों को दिया जाना है इच्छुक आवेदकों से ऑफ लाईन आवेदन सील बंद लिफाफे में आमंत्रित किये जाते है। तालाबों के पट्टे से संबधित शर्तों की जानकारी जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन संस्था/समिति के लेटर पेड पर संबधित समस्त दस्तावेज जो आवश्यक है सत्यापित कर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यपालन यंत्री जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग में निर्धारित दिनांक को प्रस्तुत की जावेगी।

क्र.	तालाब का नाम	जलक्षेत्र हेक्टेयर में	पटटा अवधि	लागू नियम
1	लिम्बोदी तालाब	52.16	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
2	लसुडिया मोरी तालाब	2.629	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
3	निपानिया तालाब	3.370	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
4	तलावली चांदा तालाब	15.440	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
5	हुक्माखेडी तालाब	6.065	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
6	अहिरखेडी तालाब	0.625	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
7	टिगरिया बादशाह तालाब	18.823	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
8	बड़ा बिलावली तालाब	387.83	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
9	छोटा बिलावली तालाब	19.43	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
10	छोटा बांगडदा तालाब	4.867	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
11	कनाड़िया तालाब-01	7.14	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
12	कनाड़िया तालाब-02	4.59	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
13	कनाड़िया तालाब-03	1.55	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
14	पिपलियाहाना तालाब	3.41	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
15	पिपलिया पाला	47.82	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
16	मायाखेड़ी	0.91	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
17	पत्थर मुंडला	1.897	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008
18	अरंडिया तालाब	1.05	10 वर्ष	मध्यप्रदेश मत्स्य पालन निति 2008

उपरोक्त तालाबों को म.प्र. मत्स्य पालन निति 2008 के तहत जलाशयो/तालाब मछली पालन/मत्स्याखेट हेतु पटटा निम्न शर्तों के अधिन मछली पालन विभाग के निति निर्देशानुसार नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिये पट्टा प्रदान किया जावेगा।

1. आवेदक तालाब पट्टे के लिये आवेदन सुस्पष्ट एवं आवश्यक निम्नानुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें।
   - **अ.** पंजीकृत सहकारी समितियों के लिये - पंजीयन प्रमाण पत्र कार्यक्षेत्र प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची, तालाब/जलाशयो को पट्टे पर लेने हेतु समिति का प्रस्ताव विगत तीन वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट, समिति को आवटित अन्य तालाब/जलाशय की सूची।
   - **ब.** स्वयं सहायता समूह - स्थानीय, गठित स्व सहायता समूह का उद्वेश्य सदस्यों की सूची पास बुक छायाप्रति, बैंक नोड्यूस प्रमाण पत्र एवं अन्य विवरण।
   - **स.** व्यक्तिगत - स्थानीय गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, बैंक नोड्यूस प्रमाण पत्र आदि।
2. अपूर्ण आवेदन स्वत: निरस्त माना जायेगा।
3. पट्टा राशि का निर्धारण जल क्षेत्र पर मत्स्य निति के आधार पर किया जायेगा।
4. आवेदक किसी भी प्रकार से दोशी अथवा डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन पर शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम से ही विचार किया जायेगा। प्राथमिकता कम से कम जल क्षेत्र की 08 किलो मीटर परिधि की पंजीकृत वंशानुगत मछुआ समिति/अनुसुचित जनजाति/अनुसुचित जाति/ पिछडा वर्ग/ सामान्य वर्ग सहकारी समितियाँ एवं उक्तानुसार क्रम में मछुआ समुह (मत्स्य विभाग द्वारा) अनुशंसित।
6. पट्टा आवंटन, प्रांरभिक पट्टा राशि मत्स्य पालन निति अनुसार नगर पालिक निगम में 10 दिवस में जमा करनी होगी अन्यथा द्वितीय निविदाकार/ आवेदक को प्राथमिकता क्रम अनुसार पात्रता दी जावेगी।
7. जलाशय के पानी का किसी भी प्रकार का उपयोग मत्स्य पालन के अतिरिक्त अन्य उपयोग हेतु प्रतिबंधित रहेगा। निगम तालाब की जलकुंभी/ जलीय अवांछित वनस्पति/ जीव जन्तु हटाने व तालाब के शुद्विकरण हेतु संयंत्र/उपकरण लगायेगा साथ ही तालाब के जलक्षेत्र में नाकायन एवं जलीय स्पोटर्स एक्टीविटी हेतु पृथक से आवंटन कर सकेगा। उक्त एक्टीविटी के संबंध में पट्टा धारकों को किसी प्रकार की आपत्ति लेने का अधिकार नहीं रहेगा।
8. जलाशय/तालाब पर बिना अनुमति कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
9. जलाशय/तालाब का पानी प्रदूषित ना हो इस हेतु पट्टा धारक का उत्तरदायित्व होगा नियमों का पालन ना होने की दशा में पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. तालाब की पाल अथवा तालाब को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावें, अन्यथा पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।
11. म.प्र. मत्स्य निति में निर्धारित नियम में निति में निर्धारित पंजीयन व अनुसंशा की आवश्यकता की पूर्ति अनुसार ही आवंटन हेतु वरियता/प्राथमिकता क्रम निर्धारित होगा।
12. शासन द्वारा निर्धारित बंद ऋतु के पालन के साथ ही अन्य संशोधित एवं नगर पालिक निगम द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा।
13. पट्टा आवंटन के संबंध में विभाग की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को मान्य होगा।
14. अन्य जानकारी के लिये कार्यालय नगर शिल्पज्ञ, जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज/नगर निगम से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
15. पट्टा चयन के बाद पट्टा प्राप्तकर्ता को स्वयं के खर्च से अनुबंध का निष्पादन करना होगा।
16. मत्स्य निति में निर्धारित समयानुसार वार्षिक पट्टे का आवेदन शुल्क प्रतिवर्ष समय पर निगम में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
17. तालाब की पाल के पास बिज प्रजनन के लिये खंदक खोदना प्रतिबंधित होगा।

1	**निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व स्थान** -	**दिनांक 06.03.2026 शाम 5:00 बजे तक कार्यपालन यंत्री ड्रेनेज कार्यालय में**
2	**निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम दिनांक व स्थान** -	**दिनांक 09.03.2026 शाम 5:00 बजे पश्चात् कार्यपालन यंत्री ड्रेनेज कार्यालय में**

कार्यपालन यंत्री
ड्रेनेज विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को किया संबोधित

नवभारत न्यूज़
बड़वानी, 07 फरवरी.

शासकीय आदर्श महाविद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉ प्रमोद पंडित ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करते हुए योग प्राणायाम से मानसिक संतुलन बनाकर समय का प्रबंध कर लक्ष्य निर्धारित कर परीक्षा देना चाहिए।

प्रसारण के बाद प्राचार्य ने कहा कि प्रतिवर्ष परीक्षा के तनाव के कारण विद्यार्थी परीक्षा वंचित हो जाते हैं, अत्यधिक मानसिक तनाव से प्रतिभा का क्षरण भी होता है। इस दौरान डॉ बीएस मुजाल्दा, डॉ अनिल पाटीदार ने भी सम्बोधित किया।

कार्यक्रम का संयोजन कॅरियर सेल के माध्यम से किया गया। इस दौरान डॉ दिनेश पाटीदार, डॉ माणक सोलंकी, डॉ रेवाराम मंडलोई, डॉ गीतांजलि, डॉ प्रिया सहित सभी प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

प्राचार्य ने दी जानकारी

प्राचार्य ने कहा कि प्रतिवर्ष परीक्षा के तनाव के कारण विद्यार्थी परीक्षा वंचित हो जाते हैं, अत्यधिक मानसिक तनाव से प्रतिभा का क्षरण भी होता है।

21 सूत्रीय मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ देगा ज्ञापन

पारा . आजाद अध्यापक शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के आहवान पर प्रदेश के सभी जिलों में दिनांक 8 फरवरी रविवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देगा

उक्त जानकारी देते हुवे संघ के जिला अध्यक्ष दिवान सिंह भूरिया ने बताया की संघ 8 फ़रवरी को प्रान्त व्यापी प्रदर्शन कर सभी जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन देगा जिसमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और ओल्ड पेंशन मुख्य मांगे हैं द्य संघ के समस्त कर्मचारी जिला मुख्यालय झाबुआ अंबेडकर पार्क से,2:30 पर रैली के रूप मे एकत्रित होकर राजगढ़ नाका से कलेक्टर कार्यालय पहुंचेगे द्य जिसमें जिले के करीब 1500 शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित होंगे द्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संगठन दीवान सिंह भूरिया कार्यकारी अध्यक्ष महेश बामनिया जिला उपाध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ रामा विकासखंड के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश डावर, राणापुर ब्लॉक अध्यक्ष महोदय कांतिलाल मेडा, थांदला ब्लॉक अध्यक्ष महोदय करण सिंह खोखर, मेघनगर ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग नलवाया, झाबुआ ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश बिलवाल पेटलावद ब्लॉक अध्यक्ष धनराज भूरिया एवं प्रांतीय संगठन मंत्री जवान सिंह बरिया ने सभी साथियों से रैली को सफल बनाने का आह्वान किया है

घर का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात और लैपटॉप चोरी

इंदौर. एरोड्रम थाना क्षेत्र की पदमालय कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर नकदी, कीमती सामान और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी वरुण सिंह भाटी ने बताया कि 27-बी पदमालय कॉलोनी उमंग पार्क में रहने वाले 35 वर्षीय हर्षवर्धन राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात आरोपी उसके घर का ताला तोड़कर अंदर घुसा. चोर घर से लेनोवो कंपनी का एक लैपटॉप, ऊपर की मंजिल से एक चांदी का नारियल, एक चांदी का सिक्का, करीब 15 हजार रुपये नकद और छह जोड़ी साड़ियां चोरी कर ले गया. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

समस्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबन्धन कार्यशाला आयोजित

योग व प्राणायाम से मिला तनावमुक्ति का दिया संदेश

आलीराजपुर । प्रभारी कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में तथा प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री वीरेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को प्रात: 11:00 बजे मुख्यालय स्थित समाधि स्थल, दाहोद नाका पर सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस तनाव प्रबन्धन कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यजनित तनाव को कम करना, उनमें नई ऊर्जा का संचार करना तथा शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में तनाव मुक्त रखना है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूनम जोशी पांडे एवं योग अधिकारी कैलाश चंद्र जोशी द्वारा योग एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि योग गुरु पतंजलि के अनुसार योग मन की समस्त वृत्तियों को शांत करने का माध्यम है। इस दौरान अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी सहित विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। योग क्रियाओं के अभ्यास से कार्यशाला में उपस्थित समस्त जन में उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास का माहौल रहा।

कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तपिस पांडे, डिप्टी कलेक्टर सुश्री दीपिका पाटीदार, जनपद पंचायत सीईओ श्री गोपाल शरण प्रजापति, सुश्री प्रिया कांग सहित जिले के समस्त विभागों के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।